संख्या- 14/5/संस्था-समन्वय (I)/2002

भारत सरकार

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मंजूरी आदेशों को स्वायत्तशासी निकायों के लिए लागू करना ।**

इस मंत्रालय के दिनांक 7.10.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14(4)संस्था समन्वय (I)/2002 द्वारा ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से जुड़ी बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, लेखा वर्ष 2001-2002 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं । मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका वित्त-पोषण अंशतः अथवा पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के समान परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां अन्य कोई बोनस या अनुग्रहपूर्वक राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है ।

2. इन आदेशों के प्रचालन के संबंध में कोई संदेह होने के मामले में इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04.10.1988 के का.ज्ञा.सं.एफ-4(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित किए गए स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए ।

3. विभिन्न संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के कारण दायित्व की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण किए जाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा 7.10.2002 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा । उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) संबंधी व्यय को संबंधित संगठनों को अपने-अपने वर्तमान बजटीय प्रावधानों में से पूरा करना चाहिए । यदि ऐसे स्वायत्तशासी निकाय भी, जिनका वित्त-पोषण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इन आदेशों को अपने कर्मचारियों के संबंध में भी लागू करते हैं तो इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा ।

(एन.के. चड्ढा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) ।